| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/4985/2005/नागौर<br>भैंराराम के वारिसान बनाम हनुमानसिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**

**उपस्थितः–**
श्री एन.एल.पोखरना, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

**निर्णय**

**दिनांकः– 04–09–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को अदम सबूत व अनुपस्थित रहने का अपर्याप्त कारण होने तथा देरी से पेश होना निर्धारित करते हुए न्यायालय ने खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण ने तामिल कुनिन्दा से सांठ–गांठ कर प्रार्थीगण पर नोटिस की तामील गलत बता दी, जबकि प्रार्थीगण के पास कोई नोटिस नहीं आया और न ही उसके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है, अतः समस्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई है। आगे बताया कि न तो मौतबिरान की गवाही नोटिस पर है और न ही अदालत तहत का कोई आदेश नोटिस चस्पादंगी बाबत था। इस प्रकार उक्त तामील अपने

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/4985/2005/नागौर<br>भैंराराम के वारिसान बनाम हनुमानसिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आप में गलत है। सबस्टीट्यूट सर्विस के लिए अदालत का आदेश आवश्यक है, इस कारण गलत तामील के कारण एकपक्षीय कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-08-2005 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2007 आरबीजे 141, 2018 आरबीजे 499, 1994 आरबीजे 50, 2009 आरबीजे 383, 2005 आरबीजे 311, 2018 आरबीजे 88, 2018 आरबीजे 279, 2018 आरबीजे 372, 2018 आरबीजे 42, 2019 आरबीजे 65 व 1965 आरआरडी 119 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।<br>इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण पर सम्मन की सम्यक रूप से तामील की गई है। उनका कहना है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 31-05-2000 की पेशी पर अनुपस्थित रहने का कारण व दिनांक 20-12-2000 को देरी से आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण भी अंकित नहीं किया है। देरी के लिए मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। यहीं नहीं प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित किए जाने के बाद मौका रिपोर्ट भी मौके पर जाकर पेश हुई है। इसके बावजूद | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/4985/2005/नागौर<br>भैंराराम के वारिसान बनाम हनुमानसिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | भी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 20–12–2000 को देरी से पेश किया है। उनका तर्क है कि देरी का लाभ लेने हेतु मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है, इस कारण प्रार्थीगण का आलोच्य प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मियाद से बाधित होना परिलक्षित होता है। उनका आगे तर्क है कि प्रार्थना पत्र में दिनांक 31–05–2000 या बाद में अनुपस्थित रहने का उचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।<br>हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा आक्षेपित आदेश तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।<br>पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 36/2000 बउनवान हनुमानसिंह बनाम भेराराम बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती रेकार्ड ग्राम जंजीला स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इस कारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 13–06–2000 द्वारा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित कर दी। उक्त एकतरफा कार्यवाही को अपास्त करने के लिए प्रार्थीगण ने दिनांक 20–12–2000 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/4985/2005/नागौर<br>भैंराराम के वारिसान बनाम हनुमानसिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 151 सीपीसी पेश कर पूर्व में उसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 18–08–2005 पारित करते हुए अपास्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश में विवेचित किया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 31–05–2000 की पेशी पर अनुपस्थित रहने का कारण व दिनांक आलोच्य प्रार्थना पत्र दिनांक 20–12–2000 को देरी से पेश करने का कारण भी अंकित नहीं किया है। देरी के लिए मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। यहीं नहीं प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित किए जाने के बाद मौका रिपोर्ट भी मौके पर जाकर सम्पादित की गई है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 20–12–2000 को देरी से पेश किया है। देरी का लाभ लेने हेतु मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है, इस कारण प्रार्थीगण का आलोच्य प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मियाद से बाधित होना परिलक्षित होता है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 31–05–2000 या बाद में अनुपस्थित रहने का उचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।<br>रेकार्ड से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को न्यायालय ने पर्याप्त व उचित समय प्रदान किया है, इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही सम्पादित की गई। यह भी प्रकट होता है कि आलोच्य कार्यवाही सम्पादित होने के बाद मियाद से बाधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया है तथा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/4985/2005/नागौर<br>भैंराराम के वारिसान बनाम हनुमानसिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में किया गया विवेचन विधिपूर्ण है।<br>माननीय विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक मामले से जुडे प्रत्येक पक्षकार को समुचित सुनवाई व पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर समस्त पक्षों की सुनवाई सुनिश्चित करने के बाद निर्णय पारित किए जाने से पक्षकारान को भविष्य में और अधिक कानूनी जटिलताओं का सामना नहीं करना पडता है। विधायिका की उक्त मंशा तथा प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर न्यायहित में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के क्रम में कॉस्ट अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाना उचित समझते है।<br>उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को रूपये 2,000/– (दो हजार मात्र) कॉस्ट अधिरोपित करते हुए स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–08–2005 को अपास्त किया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित कॉस्ट की राशि प्रार्थीगण द्वारा अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन नागौर के समक्ष जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त होने के उपरान्त विचाराधीन वाद में आगामी कार्यवाही विधिनुसार सम्पादित करें। प्रार्थीगण द्वारा चूक किए जाने | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टीए/4985/2005/नागौर<br>भैंराराम के वारिसान बनाम हनुमानसिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही अप्रभावी माना जावेगा तथा न्यायालय वाद में आगामी कार्यवाही की ओर अग्रसर होगा। चूँकि मूल वाद दिनांक 28–04–2000 को संस्थित किया गया है, जिसमें वर्तमान में लगभग 19 वर्ष की एक लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है, अत्यधिक देरी से न्याय का उपहास होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन वाद में नियमानुसार नजदीकी तारीख–पेशी नियत कर आगामी 3 महीने की अवधि में अन्तिम निस्तारण करना सुनिश्चित करें।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(प्रवीण गुप्ता)**<br>**सदस्य** | |